न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

2/11

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–64 / 2013–14

दिलीप कुमार वगैरह बनाम सुखदेव सिंह वगैरह

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
2-6-18	**आदेश** आवेदकगण के द्वारा यह वाद विपक्षीगण के नाम से मनेर अंचल अंतर्गत मौजा–सराय एवं चकमीर में कायम जमाबंदी सं0 792 / 10, 165 / 1, 170 / 1, 169 एवं 144 / 1 को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। प्रश्नगत मामले में अंचलाधिकारी, मनेर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो अप्राप्त है। इस वाद में आवेदक लगातार अनुपस्थित रहे हैं। दिनांक 04.04.2018 को आवेदक को अंतिम मौका दिया गया। आवेदक आज भी अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि आवेदक को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आवेदन का अवलोकन किया। आवेदक का कहना है कि उनके द्वारा खतियानी रैयत का वंशज से दिनांक 26.04.2013 के केवाला से भूखण्ड का क्रय किया गया था तथा आवेदकगण खरीदगी भूमि पर शांतिपूर्ण दखल में है, परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी विपक्षीगण के नाम से खुली हुयी है। आवेदकगण के द्वारा विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द कर अपने नाम से दाखिल खारिज करने का अनुरोध किया गया है। आवेदकगण के द्वारा अपने दावा के पक्ष में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। आवेदकगण दिनांक 26.04.2013 के केवाला से खरीदगी की बात कर रहे हैं। उनके द्वारा केवाला के आधार पर दाखिल खारिज हेतु संबंधित अंचल में कोई आवेदन दिया गया अथवा नहीं इस संबंध में कोई तथ्य उनके आवेदन में नहीं दिया गया है। आवेदक को चाहिए कि क्रय की गयी भूमि के लिए वे पहले संबंधित अंचल में दाखिल खारिज हेतु आवेदन दाखिल करें। यदि उनका आवेदन अस्वीकृत होता है तो उसके विरूद्ध वे संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील दायर कर सकते है। आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 2/6/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना 2/6/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	